

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 575 / 2023

दिनांक : 16.02.2023

श्री प्रशान्त पूनियां (RJ1106), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) को दिनांक 02.01.2023 से 03.01.2023 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 24.12.2022 से 01.01.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री पूनियां की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/94/2016/1235

दिनांक : 16.02.2023

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 136 दिनांक 06.01.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री प्रशान्त पूनियां (RJ1106), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक)।

सहायक रजिस्ट्रार